

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तपस्थिति :-

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थीगण तपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (तहसील कार्यालय) राज.पैरोकार विपार्थी सं. 15 की ओर से तपस्थित। शेष विपार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक- 28.08.2025

1. संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 65/17 रकबा 0. 2023 हैक्टेयर तथा विपार्थीगण संख्या 1 से 8 के खसरा 65/57 रकबा 0. 2023 हैक्टेयर तथा विपार्थी संख्या 9 के खसरा संख्या 65/56 रकबा 0.2323 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण एवं विपार्थीगण संख्या 10 से 14 के खसरा संख्या 65/20 रकबा 0.1214 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण एवं विपार्थी संख्या 1 व 9 के खसरा संख्या 65/58 रकबा 0.0405 हैक्टेयर ग्राम सिणधरी चौसीरा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आये हुए हैं जो मूल खसरा संख्या 65 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में पृथक-पृथक दर्ज हुए हैं। कि मूल खसरा संख्या 65 के विभाजन से पक्षकारान् के खसरान् की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काशत के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काशत के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काशत जिसमें पक्षकारान की मकान व पक्का कब्जा आदि बने हुए हैं। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में तरमीम मौके की स्थिति से भिन्न है, जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानी व अपूर्णीय क्षति हो रही है। जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण को नकदी में संभव नहीं है और प्रार्थी के तरमीम सही नहीं होने से उक्त आवेदन लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 65/17 रकबा 0. 2023 हैक्टेयर तथा विपार्थीगण संख्या 1 से 8 के खसरा 65/57 रकबा 0.2023 हैक्टेयर तथा विपार्थी संख्या 9 के खसरा संख्या 65/56 रकबा 0.2323 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण एवं विपार्थीगण संख्या 10 से 14 के खसरा संख्या 65/20 रकबा 0.1214 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण एवं विपार्थी संख्या 1 व 9 के खसरा संख्या 65/58 रकबा 0.0405 हैक्टेयर ग्राम सिणधरी चौसीरा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी के लट्टा ट्रेस में अंकित गलत तरमीम को मौके पर पक्षकारान के कब्जा काशत के अनुसार परिशिष्ट- अ अनुसार सही तरमीम करने का आदेश जारी किया जावे।

2 प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपार्थी सं. 1 से 14 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विपार्थी सं. 15 के विपार्थी नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौक तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 65/17 रकबा 0. 2023 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खसरा 65/57 रकबा 0.2023 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 9 के खसरा संख्या 65/56 रकबा 0.2323 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 10 से 14 के खसरा संख्या 65/20 रकबा 0.1214 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 9 के खसरा संख्या 65/58 रकबा 0.0405 हैक्टेयर ग्राम सिणधरी चौसीरा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आये हुये है जो मूल खसरा संख्या 65 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में पृथक-पृथक दर्ज हुये है। कि मूल खसरा संख्या 65 के विभाजन से पक्षकारान् के खसरान् की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त जिसमें पक्षकारान की मकान व पक्का कब्जा आदि बने हुए है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में तरमीम मौके की स्थिति से भिन्न है, जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानी व अपूर्ण्य क्षति हो रही है। जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण को नकदी में संभव नहीं है और प्रार्थी के तरमीम सही नहीं होने से उक्त आवेदन लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 65/17 रकबा 0. 2023 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खसरा 65/57 रकबा 0.2023 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 9 के खसरा संख्या 65/56 रकबा 0.2323 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 10 से 14 के खसरा संख्या 65/20 रकबा 0.1214 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 9 के खसरा संख्या 65/58 रकबा 0.0405 हैक्टेयर ग्राम सिणधरी चौसीरा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी के लट्टा ट्रेस में अंकित गलत तरमीम को मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार परिशिष्ट- अ अनुसार सही तरमीम करने का आदेश जारी किया जावे। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लट्टा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमावे।

4. विप्रार्थी सं. 15 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 8/10 रकबा 3.7214 हैक्टेयर का ग्राम किश्नपुरप प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 65/17 रकबा 0. 2023 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खसरा 65/57 रकबा 0.2023 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 9 के खसरा संख्या 65/56 रकबा 0.2323 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 10 से 14 के खसरा संख्या 65/20 रकबा 0.1214 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 9 के खसरा संख्या 65/58 रकबा 0.0405 हैक्टेयर ग्राम सिणधरी चौसीरा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में आये हुये है जो मूल खसरा संख्या 65 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में पृथक-पृथक दर्ज हुये है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



मूल खसरा संख्या 65 के विभाजन से पक्षकारान् के खसरा नु की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काशत के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काशत के विपरित लढा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काशत जिसमें पक्षकारान की मकान व पक्का कब्जा आदि बने हुए है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में तरमीम मौके की स्थिति से भिन्न है, जिससे प्रार्थीगण को भारी परेशानी व अपूर्णीय क्षति हो रही है। जिसकी पूर्ति प्रार्थीगण को नकदी में संभव नहीं है और प्रार्थी के तरमीम सही नहीं होने से उक्त आवेदन लाने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 65/17 रकबा 0.2023 हैक्टियर तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के खसरा 65/57 रकबा 0.2023 हैक्टियर तथा विप्रार्थी संख्या 9 के खसरा संख्या 65/56 रकबा 0.2323 हैक्टियर तथा प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 10 से 14 के खसरा संख्या 65/20 रकबा 0.1214 हैक्टियर तथा प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 9 के खसरा संख्या 65/58 रकबा 0.0405 हैक्टियर ग्राम सिणधरी चौसीरा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी के लट्टा ट्रेस में अंकित गलत तरमीम को मौके पर पक्षकारान के कब्जा काशत के अनुसार परिशिष्ट- अ अनुसार सही तरमीम करने का आदेश जारी किया जावे। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 1842 दिनांक 18.08.2025 से होता है, इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काशत से विपरीत तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंघा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काशत के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सिणधरी चौसीरा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा खसरा नम्बर 65/17, 65/56, 65/57, 65/58 व 65/20 की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट पत्रांक 1842 दिनांक 18.08.2025 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं, उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.08.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

